उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन 1972) की धारा 19 की उपधारा-(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्निलेखिक नियमावली बनाते हैं – उत्तर प्रदेश बेंसिक हिसा (अध्यापक) सेवा*(बारहवाँ संशोधन)* निस्नगवली, 2011 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेंसिक हिसा (अध्यापक) सेवा *(बोरहवे*क संशोधन) नियमावली, उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुमाग-5
संख्या-3265 / 79-5-2011-3(3) / 2011
लखनक दिनांक -9, नवम्बर-2011
अधिसूचना
प्रकीर्ण

यह नियमावली उत्तर प्रदः 2011 कडी जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्म-एक में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्म-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

	24	की अध्यापिका	प्त	नियुक्ति के लिए अ सामने की गयी है-		
8	समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता।	की अध्यापिका अध्यापन प्रमाण पत्र (नर्सरी) या सरकार द्वारा उसके स्कल	शैक्षणिक अर्हताये	 (1) नियम 5 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर श्यिषयों की अनिवार्य अर्हतायें वहीं होगी जैसी प्रत्येक के 	विद्यमान नियम	स्तम्भ-एक
	विगाव		.44	शैक्षणिक अर्हताये 8 नियुक्ति के लिए अ सामने दी गयी है -		
से अध्यापन प्रमाण पत्र (नर्सरी) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पात्यक्रम के साथ जतर प्रदेश सरकार द्वारा संबातित अध्यापक पात्रता	के साथ-साथ उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान	नर्सरी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक	शैक्षणिक अहंताये	राजाणक अहताय 8(1) नियम 5 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर शैक्षणिक अहंताये 8(1) नियम 5 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति के लिए अन्यर्थियों की अनिवार्य अहंतायें वहीं होगी जैसी प्रत्येक के नियुक्ति के लिए अन्यर्थियों की अनिवार्य अहंतायें वहीं होगी जैसी प्रत्येक के सामने की गयी है—	एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम	स्तम- दो

P. No sedin	(2)— fi अध्याप		\(\frac{\frac{1}{2}}{2}\)		· ·			•		·	अध्यापिकागण	और	सहायक	बेसिक	(c)		
E.No.adheucha 2 basic persid	(2)— विज्ञान, गणित, काफ्ट या हिन्दी और उर्दू से मिन्न किसी अन्य भाषा के (2)— विज्ञान, गणित, काफ्ट या अध्यापन के लिए नियम—5 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में अध्यापन के लिए नियम—5 के	विहित थी।	वहीं होगी, जो उक्त प्रशिक्षण पाठ्यकम में प्रवेश के लिए	प्रशिक्षण पाठ्यकम उत्तीर्ण कर लिया है अनिवार्य अर्हता	परन्तु उन अभ्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपेक्षित	out.	समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यकम भी	प्रमाण पत्र, अध्यापन प्रमाण पत्र या संस्कार द्वारा उसके	हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाण पत्र, जूनियर अध्यापक	द्विवर्षीय बी०टी०सी० धर्दू विशेष प्रशिक्षण पाठ्यकम, अध्यापिकागण	काराण विशिष्ट बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र (बीठटीठसीठ) सहायक	सहायक अर्डता जिसके अन्तिगत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र अध्यापक	ह अध्यापक मान्यता प्राप्त किसी उपाधि के साथ-साथ प्रशिक्षण सहायक	स्कूल के स्नातक की उपाधि या सर्कार द्वारा उसके समकक्ष	जूनियर मारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय		
	के (2)— विज्ञान, गणित, क्राफ्ट या में अध्यापन के लिए नियम—5 के		लेर	र्डता	क्षेत		4	प्रके	पक	इ म, अध्यापिकागण	no) सहायक	पत्र अध्यापक और	भण सहायक	कक्ष बेसिक स्कूल के	से (दो) जूनियर		
	ाणित, काफ़ट या हिन्दी और उद्दें से मिन किसी अन्य भाषा के रए निवम-5 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में		・ 1 では、1 では、1 では、1 では、1 では、1 では、1 では、1 では					अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।	बीठटीठसीठ और उत्तर प्रदेश संस्कार द्वारा संचालित	(बीठटीठसीठ). दिवर्षीय बीठटीठसीठ (उद्धे). विशेष्ट	अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र		प्राप्त उपाधि के साथ सरकार द्वारा उसके समक्या भाग्यता	े स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता	भारत में बिर	परीक्षा छत्तीर्ण किया हो।	

	 . 4	 un di Sele	 	ار غولا	رزشتان وتر	ونسد			والمساعة	<u>.</u>	نيونې	المنافعة أأ			<u> </u>
ans.															
E.No.adhisucha 2 besic persid							•		<u>a</u>				(RB)	雪	निर्देष्ट पर
L'besic person						प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यकम।	अध्यापन प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता	हिन्दुस्तानी अध्यापक प्रमाण पत्र, जूनियर अध्यापक प्रमाण पत्र,	प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र,	विशिष्ट माशा एक विषय के रूप में उसी हो, और	कोई उपाधि जिसमें यथास्थिति विज्ञान, गणित, काफ्ट या	की उपाधि या सरकार द्वारा जुसके समकक्ष मान्यता प्राप्त	🐈 मारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक		निर्दिष्ट पर पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की अनिवार्य अर्डता निम प्रकार निर्दिष्ट पर पर <i>नियुक्ति</i> के लिए
									<u>a</u>	ř			(एक)—	***	निर्देख पद प
						हारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।	प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण पाठ्यकम और जलार प्रदेश सरकार	अध्यापन प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता	प्रशिक्षण अर्हता जिसके अन्तर्गत बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र	विशिष्ट भाषा एक विषय के रूप में रही हो, और	कोई उपाधि जिसमें यथास्थिति विज्ञान, गणित, काफ्ट या	की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक		पर <i>नियुक्ति</i> के लिए अस्पर्धी की अनिवाय अर्हतायें निम्न प्रकार

Albert Killer (Free Lin)		et Lista kanalan adalah kecala		
E.No.arthisuchi 2 besic parsid		4— उर्दू माषा के अध्यापन के लिए नि के उपखण्ड (तीन) और (घार) में निर्दि की अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार होगी— (एक)— मारत में विधि		(तीन) सीनियर बेरिवर्क स्कूल के प्रधानाध्यापके या प्रधानाध्यापका
	स्नातक की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा एक विषय के रूप में उर्दू के साथ, टिप्पणी – कोई अन्यर्थी जो उर्दू में उपर्युक्त अर्हता नहीं	 4- उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए नियम-5 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) 4- उर्दू भाषा के अध्यापन के लिए नियम-5 के खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यार्थियों उपखण्ड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के की अनिवार्य अहंता निम्न प्रकार होगी- (एक)- मारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक)- मारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक)- 	पदानात के लिए पंपादा तस्त्रा न अपुष्य पात्र अन्यवा उपलब्ध न हो तो परिश्वद द्वारा अनुभव की अवधि में शिथिलता देकर पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।	(तीन) सीनियर यथारियति जूनियर बेसिक स्कूल के स्थायी (तीन) सीनियर यथारियति जूनियर बेसिक स्कूल के स्थाय वितक्त स्कूल के स्थाय वितक्त स्कूल के स्थाय सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापिका या सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापिका या सहायक अध्यापिक या सहायक अध्यापिक या सहायक अध्यापिका के रूप में म्यूनितम ०३ वर्ष का अनुभवः प्रधानाध्यापिका का अनुभवः परन्तु यदि क०सं० (दो) या (तीन) उ
		4- उर्दू भाषा के उपखण्ड (तीन) अनिवार्य अर्दता ((एक)-		(तीन) सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका
	की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा एक विषय के रूप में उर्दू के साथ । टिप्पणी — कोई अन्यर्थी जो उर्दू में उपर्युक्त अर्डता नहीं रखता है नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि वह उर्दू विषय में	 पर्वं भाषा के अध्यापन के लिए नियम-5 के खब्द (क) और खब्द (ख) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए अध्याधियों की अनिवार्य अर्दता निम्न प्रकार होगी— (एक)— भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक 	प्यानात के लिए न्याय संख्या न उपकुर्य की अवधि में उपलब्ध न हो तो परिषद द्वारा अनुसर्व की अवधि में शिथिलता देकर पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।	The second secon

Ġ,

में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। र द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के लखनक, आग्या, भूबाना जिला मेरठ और (दी) डीहा जिला चन्द्रीली में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में सी एक केन्द्र से बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र या र द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य र अहंता। र द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य र अहंता। स्थिने वाले अन्यर्थियों के लिए नियम-5 के खण्ड (5) उर्दू भाषा में र विदेख पदों पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए (क) के उपखण्ड अनिवार्य अहंता निर्म विदेख द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक)	उर्दू में प्रवीणता के लिए अर्डता वही होगी जो राज्य सरकार	कोई उपाधि। उर्दू में प्रवीणता के लिए अर्डता वही होगी		
में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। र द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के लखनऊ, आगर्ग, मुबाना जिला मेरठ और (दो) डीहा जिला चन्द्रीली में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में सी एक केन्द्र से बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र या र द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य ग अहता। प्राप्त को अन्यधियों के लिए नियम-5 के खण्ड (5) उर्दू भाषा में निर्देष्ट पदों पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए (क) के उपखण्ड अनिवार्य अहता निम्मिति द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक)		स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष		:: •
में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। र द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के लखनऊ, आगरा, मुबाना जिला मेरठ और (दी) डीहा जिला चन्द्रीती में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में सी एक केन्द्र से बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र या र द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य ग अर्हता। प अर्हता। प्रविद्य वाले अन्यर्थियों के लिए नियम-5 के खण्ड (5) उर्दू भाषा में निर्देष्ट पदों पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए (क) के उपखण्ड अनिवार्य अर्हता निर्मा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्न	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक)	9	
विषय में स्नावकीत्तर उपाहि रखता हो। सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के । तिए लखनऊ, आगरा, मुबाना जिला मेरठ और (दी) सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों में स्वापित प्रशिक्षण केन्द्रों में स्वापित प्रशिक्षण केन्द्रों में स्वापित प्रशिक्षण केन्द्रों में किसी एक केन्द्र से बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्दता। सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए तियम-5 के खण्ड (5) उर्दू भाषा में प्रवीणता रखने वाले अन्यधियों के लिए नियम-5 के खण्ड (वी) में निर्दिष्ट पर्दो पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए (क) के उपखण्ड (वी) में निर्दिष्ट पर्दो पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए (क) के उपखण्ड (वी) में निर्दिष्ट पर्दो पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए (क) के उपखण्ड (वी) में निर्दिष्ट पर्दो पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए (क) के उपखण्ड (वी) में निर्दिष्ट पर्दो पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए नियम-5 के खण्डाण्ड (वी) में निर्दिष्ट पर्दो पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए नियम-5 के खण्डाण्ड (वी) में निर्दिष्ट पर्दो पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए नियम-5 के खण्डाण्ड (वी) में निर्दिष्ट पर्दो पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए नियम-5 के खण्डाण्डा पर्वारों पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए नियम-5 के खण्डाण्डा परविष्टा परविष्ट पर्दो पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए नियम-5 के खण्डाण्डा परविष्टा से अध्यापन के लिए नियम-5 के खण्डा परविष्टा परविष्	र्थ अर्हता निम्न होगी-	अति	अनिवार्य आ	
विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के । लिए लखनऊ, आगग्, मुबाना जिला मेरठ और (दो) सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के । सरकार द्वारा उन्हों भी स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में से किसी एक केन्द्र से बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्डता। प्रमाणपत्र (बीण्टीणसीय), द्विवर्षीय बीण्टीणसीय (अर्थायक प्रमाणपत्र वा सरकार द्वारा संबोलित अध्यापक प्रमाण पत्र वा सरकार द्वारा संबोलित अध्यापक पत्र वा सरकार द्वारा संवोलित अध्यापक पत्र वा सरकार द्वारा संवोलित अध्यापक प्रमाण संवोलित अध्यापक प्रमाण संवोलित अध्यापक पत्र वा सरकार द्वारा संवोलित अध्यापक पत्र वा सरकार द्वारा संवोलित अध्यापक प्रमाण संवोलित अध्यापक पत्र वा सरकार वा सरकार वा सरकार द्वारा संवोलित अध्यापक प्रमाण संवोलित अध्यापक पत्र वा सरकार	के उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट पदों पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के	पखण्ड (दो) में निर्दिष्ट पदों पर उर्दू माध्यम से अध्यापन के लिए (क)	(क) के उप	+. 1 -
<u>a</u>	र्दू भाषा में प्रवीणता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियम-5 के र	अथा में प्रवीणता रखने वाले अन्यर्थियों के लिए नियम-5 के खण्ड (5)	(5) खर्दू भा	
<u>a</u>	उत्तीर्ण किया हो।			; ; ;
(दो) सरकार द्वार लखनऊ, अ चन्दौली में बेसिक अध्य <i>मान्यता प्राप</i>	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता प		. <u> </u>	
a			•.	
3	मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता या बेसिक अध्य	प्रशिक्षण अर्हता।	•	
<u>a</u>	वेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा उसके सम	सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य		
3	चन्दौली में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में से किसी एक केन	से किसी एक केन्द्र से बेसिक अध्यापक प्रमाणपत्र या	-	
में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। र द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के लखनक, आगरा, मुबाना जिला मेरठ और (दो)	लखनऊ, आगरा, मवाना जिला मेरठ और संकलबीहा रि	सकलडीहा जिला चन्द्रीली में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों में		
में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो। र द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के	सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के	िए लखनऊ, आग्रु, अबाना जिला मेरठ और (दो)	(4)	
में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो।	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने के		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो।		
हैं नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि वह उर्द। 💮 🕶 नातकोत्तर	स्नातकोत्तर उपवि रखता हो।	रखता है नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि वह उर्दू		

No.adhisucha 2 basic parsid

e epsilo	ببنع	اھ		
	g g			
	प्रशिक्षण अर्हता	द्विवर्षीय बीठटीठसी	जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाये	
	Angel Salah Salah Salah	०सी० चर्र विशे	त समय-समय	
		ष प्रशिक्षण	पर विहित व	
	•	शिक्षण पाठ्यकम की (दो)	र्ग जाये।	
		(c)		
अध्याप	प्रशिक्षण	द्विवर्षीय	द्वारा स	
क पात्रता परीव	अर्हता और	बीठटीठसीठ	मय-समय पर	
अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ष किया हो	प्रशिक्षण अर्हता और उत्तर प्रदेश सरकार	द्विवर्षीय बीठटीठसीठ उर्दू विशेष प्रशिक्षण	द्वारा समय-समय पर विहित की जा	
m sh/	HYDRY ET	प्रशिक्षण पा	41	
	र द्वारा सं	0्यक		. 1

नियम 14 का : 3 — उक्त नियमवली के नीचे स्तम्भ —एक में दिये गये नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा। अर्थात : -

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अन्यर्थियों के	कार्यालय को और कम से कम 2 समाचार पत्रों में जिनका राज्य के साथ ही साथ सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विमिन्न श्रेणियों के अन्यर्थियों के
प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या और नियम 9 के अधीन	आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को संवायोजन प्राधिकारी रिक्तियों की संख्या और नियम 9 के अधीन
सीबी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति	के अम्यर्थियों स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और अन्य श्रेणी के अम्यर्थियों के लिए सीबी मर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति
सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर	रिक्तियों की संख्या और नियम 9 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों, पिछडे वर्गो सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका के पद पर
स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूलों के	सहायक अध्यापिका के पद पर सीधी मतीं द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूलों के
जाना (1) नियम 5 के खण्ड (क) के अधीन नर्सरी	अधीन नर्सरी स्कूलों की अध्यापिका और जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापक या जाना (1) नियम 5 के खण्ड (क) के अधीन नर्सरी
14 रिक्तियों का अवधारण और सूची का तैयार किया	14 रिक्तियों का अवधारण और सूची का तैयार किया जाना (1) नियम 5 के खण्ड (क) के 14 रिक्तियों का अवधारण और सूची का तैयार किया
एतद्क्षारा प्रतिस्थापित नियम	विद्यमानं नियम
स्तम वो	स्तम्भ एक

वाले अभ्यर्थियों से आदेदन पत्र आमंत्रित करेगा। जिलें में पर्याप्त प्रचलन हो अधिसूचित कर सम्बन्धित जिले से विहित प्रशिक्षिण आईता रखने **लिए आएक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी**

से प्राप्त अन्यर्थियों के नामें की संवीक्षा करेगा और ऐसे व्यक्तियों की जो विहित शैक्षिक अर्हताए सम्बन्धित जिलें में पर्याप्त प्रवासन हो अधिसूचित कर रखते हो, और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हो एक सूथी तैयार करेगा। (2)— नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों और सेवायोजन कार्यालय प्रमुख समाचार पत्रों में जिनका राज्य के साथ ही साथ

अधीन तैयार सूची के अंत में सम्मिलित किया जाए। से जो अभिलिखित किये जाएगें यह निर्देश दे सकता है कि उसका नाम उप नियम (2) के (3)— संभागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेo) किसी अन्यर्थी के आवेदन पत्र पर और उन कारणों

उनके ऊपर रखा जायेगा जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण पाठ्यकम बाद में उत्तीर्ज किया हो और किसी | **आवेदन पत्रों से अन्यर्थियों के नामे की संवीक्षा करे**गा गुणवत्ता अंकों के अनुसार रखे जायेगें। विशिष्ट वर्ष में प्रशिक्षण पाठ्यकम उत्तीर्ण करने वाले अन्यर्थियों के नाम परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट और ऐसे व्यक्तियों की जो विहित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कि उन अन्यर्थियों को जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यकम समय से पहले उत्तीर्ण कर लिया हो (a)— उपनियम (2) के अधीन तैयार की गयी सूची में अम्यर्थियों के नाम इस प्रकार रखे जायेगे

अधीन तैयार सूची में सम्मिलित न हो। कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसका नाम उपनियम (2) के

सूची नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित की जायेगी (6)— उपनियम (2) के अधीन तैयार की गयी और उपनियम (4) के अनुसार कमबद्ध की गयी

> उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचातित अध्यापक पात्रता अन्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और जिन्होंने अवदारित करेगा और रिक्तियों को कम से कम 2 सम्बन्धित जिले से विष्ठित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

(2)— नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त एक सूची तैयार करेगा। अर्हताए रखते हो, और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हो

अभ्यर्थियों के नाम अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त (3) उप नियम (2) के अधीन तैयार की गई अंकों के अवरोही कम में एखा जायेगा ।

अंक प्राप्त किया हो, तो आयु में ज्येष्ठ अध्यक्षी को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन समिति को अग्रसारित की **उपनियम**—(3) के अनुसार कमबद्ध की गयी सूची (5)— उपनियम-(2) के अबीन तैयार की गयी में समिलित न हो। (4)— कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसका नाम उपनियम—(2) के अधीन तैयार सूची उच्चतर रखा जायेगा।

नियम 27 का संशोधन - 4- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्म-एक में दिये गये नियम- 27 के स्थान पर स्तम्म-दो में दिये गये नियम रख दिये जायेंगें, अर्थात:-

स्तम एक विद्यमान नियम	्स्तम्म दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
स्तम्-१	स्तन्म-2
अध्यापकों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्यो:	अध्यापकों द्वारा निष्पदित किये जाने वाले कर्तव्योः-
दक्षतारोध पार करने का मानदण्ड:-	27 — किसी अध्यापक को —
27 - किसी अध्यापक को -	(क) विद्यालय में नियमितता बनाये रखने और समय से उपस्थिति, नियमित
(क) प्रथम दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक	(क) प्रथम दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक <i>अध्यापन विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित गुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय</i>

E.No adhisucha 2 basic parsio

विकास, प्रशिक्षण माङ्यूल तथा पाठ्यपुस्तकों के विकास में भाग लेगा ।	
(च) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेगा, पाठ्य संस्थना एवं पाठ्य विवरण का	
करेगा ।	
काइल अनुरक्षित रखेगा तथा जिसके आधार पर पूर्णता का प्रमाणपत्र प्रदान	
करेगा तथा सतत् मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बासक के शिष्य संघयी अभिलेखयुक्त	20
 (व्ह) बालकों के ज्ञान की समझ और उसका या उसकी योग्यता उसी प्रकार लागू 	
सिए स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा ।	
(घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में. समस्त बातकों के विद्यालय में प्रवेश के	
में सहयोग करेगा ।	
(ग) जब अपेक्षा की जाए. तब विद्यालय प्रबन्ध समिति के क्रियाकलागों के प्रबन्धन	
सम्पादन में सहभागिता करेगा ।	प्रमाणित न कर दी जाये ।
कि उसकी सेवा का अमिलेख मुसगत अच्छा न रहा हो और उसकी सत्यनिष्टा <i>प्रगति का मानीटर करके, नियमित आधार पर माता-पिता के साथ छात्रों के</i>	कि उसकी सेवा का अभिलेख सुसंगत अच्छा न रहा हो और उसकी सत्यनिष्टा
(ख) द्वितीय दक्षतारोघ पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (ख) विद्यालय में प्रत्येक बालक की नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा	(ख) द्वितीय दक्षतारोध पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक
विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा ।	उसकी सत्यिष्टा प्रमाणित न कर दी जाये : और
उसे अपनी सर्वोत्तम यांग्यता से निरन्तर कार्य करता हुआ न पाया जाय और के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यकम पूर्ण करने के संबंध में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और	उसे अपनी सर्वोत्तम यांग्यता से निरन्तर कार्य करता हुआ न पाया जाय और

नियम 29 का संशोधन – 5– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्म-एक में दिये गये नियम- 29 के स्थान पर स्तम्म-दो में दिये गये नियम रख दिये जायेंगें,अर्थातः-

(छ) विद्यालय के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के स्वप्रेरणों में सहयोग करेगा ।

Bei	AT.
1 1 1 1	4
_	

स्तम्म दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित निथम

अधिवर्षिता की आयु

बढ़ाई गयी अवधि समझी जायेगी ।	नियोजन में बढ़ाई गयी अवधि समझा जायेगा ।
पश्चात अगले 30 जून तक कार्य करता रहेगा और सेवा की ऐसी अवधि नियोजन	अन्त तक अर्थात 30 जून तक कार्य करता रहेगा और ऐसी सेवा अवधि को पश्चात अगले 30 जून तक कार्य करता रहेगा और सेवा की ऐसी
जो अध्यापक के रूप में 30 जून को सेवा निवृत्त नहीं होता, सेवा निवृत्त के दिनांक व	तीन जून तक) के दौरान सेवा—निवृत्ति होताहो तो वह शिक्षा सत्र के जो अध्यापक के रूप में 30 जून को सेवा निवृत्त नहीं होता, सेवा
परनु यदि कोई अध्यापक जो किसी शैक्षणिक सत्र. के दौरान सेवा-निवृत्ति होता	परन्तु यदि कोई अध्यापक किसी शैक्षणिक सत्र (पहली जुलाई से परन्तु यदि कोई अध्यापक जो किसी शैक्षणिक सत्र के दौरान
हों, अन्तिम दिन के अपरान्ह से सेवा-निवृत्त होगा ।	वर्ष पूरे कर लिये हों, अन्तिम दिन के अपरान्ह से सेबा-निवृत्त होगा ।
प्रत्येक अध्यापक उस मास के, जिसमें उसने अपनी आयु के 60 29 प्रत्येक अध्यापक उस मास के, जिसम उसने अपनी आयु के 62 वर्ष पूर कर जिय	29- प्रत्येक अध्यापक उस मास के, जिसमें उसने अपनी आयु के 60

=

order the publication of the following English translation of notification no. 3285/79-5-2011-3(3)/2011 dated November 09, 2011: IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to

UTTAR PRADESH SHASAN SHIKSHA ANUBHAG - 5

NOTIFICATION

No. 3285/79-5-2011-3(3)/2011 Miscellaneous

Dated Lucknow November 09, 2011

Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981: 1972, UP Act no. 34 of 1972 the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 19 of the Uttar Pradesh Basic Education Act,

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (TEACHERS) SERVICE (TWELFTH AMENDMENT) RULES,

Short title and

commencement.-Service(Twelfth Amendment) Rules, 2011. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers)

	Existing rule	substituted namely:	Amendment of rule 8	
			2. refet out it	
1、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2	Rule as hereby substituted		In the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 hereinaffer, red to as the said rules for the existing rule 8 set out in column I below, the rule as set a column II shall be substituted, namely:-	

5 shall be as shown below against each:candidates for appointment to a post referred to in clause (a) of rule essential qualifications of candidates for Academic Qualifications 8. - (1) The essential qualifications of Academic Qualifications 8. - (1) The appointment to a post referred to in clause

against each :-

(a) of rule 5 shall be as shown below

	-		
Post	Academic qualifications	Post	Academic qualifications
(i) Mistresses of	(i) Mistresses of Certificate of Teaching (Nursery) (i) Mistresses of Bachelors degree from	(i) Mistresses of	Bachelors degree from a
Nursery School	from a recognized Training Nursery School	Nursery School	University established by law in
	Institution in Uttar Pradesh or any		India or a degree recognised by
	other training qualification		the Government as equivalent
	recognised by the Government as	:	thereto together with Certificate
	equivalent thereto.		of teaching(Nursery) from
	-		recognized training institution of

מדם עובון וויבון סדם			
Teacher's Certificate (BTC),two		Training Course, Hindustani	Hank
qualification consisting of a Basic		years B.T.C. Urdu Speacial	
together with the training		Teacher's Certificate (B.T.C.) two	
Government as equivalent thereto		Teacher's Certificate, Vishist Basic	
training course recognised by the	Schools	qualification consisting of a Basic Schools	Schools
Basic thereto together with any other		Basic thereto together with the training Junior	Junior Basic
of the Government as equivalent		of the Government as equivalent Mistresses	Mistresses of
India or a degree recognised by	Assistant	India or a Degree recognised by Assistant	Assistant
and University established by law in		and University established by law in Master	Master and
Assistant Bachelors degree from a		Assistant A Bachelor's Degree from a (ii)	(ii) Assistant
Government of Uttar Pradesh.			
eligibility test conducted by the		1.	3-7
and have passed teacher		* **	,
Government as equivalent thereto		j.	
training course recognised by the			
Uttar Pradesh or any other		27	

said train	was preso	course si	has pass	qualificat	Provid		Governm	Course	Teaching	T eacher 2
said training course.	was prescribed for admission to the	course shall be the same which	has passed the required training	qualification for a candidate who	Provided that the essential		Government as equivalent thereto:	recognised by the	Teaching or any other Training	Teacher's Cerumeans, Cerumeans of
	84			•	_	-		Government of Uttar Pradesh	eligibility test	-
				0.				Uttar Pradesh.	eligibility test conducted by the	

appointment to a post referred to in sub-clauses (iii) and appointment to a post referred to in sub-clauses (iii) The essential qualifications of candidates for (2) The essential qualifications of candidates for

		استار هو بامنی	1, 2, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		*	- 5	<u></u>	شسداد						
(iii) Headmaster or At least three years'	equivalent thereto.	other Training Course recognised by the Government as	Certificate, Hindustani Teacher's Certificate, Junior Teacher's Certificate, Certificate of Teaching or any other Training Course recognised by the Government	(ii)Training qualification consisting of a Basic Teacher's (ii)Training	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	subjects, and	or particular language, as the case may be, as one of the Mathematics, Craft or particular language, as the case	as equivalent thereto with Science, Mathematics, Craft Government as equivalent	law in India or a Degree recognised by the Government by law in India or a Degree recognised by the	(i) A Bachelor's Degree from a University established by (i) A Bachelor's Degree from a University established	and Urdu shall be as follows:-	Mathematics, Craft or any language other than Hindi Mathematics, Craft or any language other than Hindi	(iv) of clause (b) of rule 5 for teaching Science, and (iv) of clause (b) of rule 5 for teaching Science,	
(iii) Headmaster or At least three years'	Test conducted by the Government of Uttar Pradesh.	as equivalent thereto and have passed Teacher Eligibity	Teacher's Certificate, Certificate of Teaching or any other Training Course recognised by the Government	(ii)Training qualification consisting of a Basic		may be, as one of the subjects, and	Mathematics, Craft or particular language, as the case	Government as equivalent thereto with Science,	by law in India or a Degree recognised by the	(i)A Bachelor's Degree from a University established	and Urdu shall be as follows:-	Mathematics, Craft or any language other than Hindi	and (iv) of clause (b) of rule 5 for teaching Science,	

may be extended by the	(iii), the field of eligibility	serial numbers (ii) and	the posts mentioned	available for promotion to	candidates are	suitable or	sufficient number	Provided	case may be:	Senior Basic School, as the	Assistant Mistress	Assistant Master	Basic School or permanent	Headmistress of Junior	
d by the	eligibility	(ii) and	ioned at	motion to	e not	eligible	ber of	that if		ool, as the	ress of	ster or	permanent	f Junior	
the field of eligibility may	serial numbers (ii) or (iii),	the posts mentioned at	available for promotion to	candidates are not	suitable or eligible	sufficient number of	Provided that if	be:	School, as the case may	Mistress of Senior Basic	Master or Assistant	permanent Assistant	Basic School or	Headmistress of Junior	

period of experience.		
by giving relaxation in the	in the period of experience.	
be extended by the Board	Board by giving relaxation	

aforesaid qualification in Urdu, shall be eligible for appointment, if he possesses a Master's Degree in Urdu.	oresaid qualification in Urdu, shall be eligible for
Note A candidate who does not possess the aforesaid qualification in Urdu, shall be eligible for	Note A candidate who does not possess the
Note - A candidate who does not possess the	as one of the subjects.
by the Government as equivalent thereto with Urdu as equivalent thereto with Urdu as one of the subjects.	y the Government as equivalent thereto with Urdu
established by Law in India or a degree recognised by Law in India or a degree recognised by the Government	stablished by Law in India or a degree recognised
(i) A Bachelor's Degree from a University (i) A Bachelor's Degree from a University established) A Bachelor's Degree from a University
Urdu Language shall be as follows:-	teaching Urdu Language shall be as follows:-
sub-clauses (iii) and (iv) of clause(b)of rule 5 for clauses (iii) and (iv) of clause(b) of rule 5 for teaching	ub-clauses (iii) and (iv) of clause(b)of rule 5 for
appointment to the posts referred to in clause (a) and appointment to the posts referred to in clause (a) and sub-	appointment to the posts referred to in clause (a) and
(7) The essential qualification of candidates for (4) The essential qualification of candidates for	the essential quantication of candidates for

Pradesh.	
teacher eligibility test, conducted by Government of Uttar	
Certificate (BTC), two years BTC (Urdu) and have passed	
recognised by the Government as equivalent thereto. Government as equivalent thereto or Basic Teacher's	ecognised by the Government as equivalent thereto.
for teaching Urdu or any other training qualification any other training qualification recognised by the	for teaching Urdu or any other training qualification
established by the Government for imparting training Government for imparting training for teaching Urdu or	established by the Government for imparting training
district Meerut and Sakaldiha in district Chandauli Sakaldiha in district Chandauli established by the	district Meerut and Sakaldiha in district Chandauli
training centers in Lucknow, Agra, Mawana in centers in Lucknow, Agra, Mawana in district Meerut and	training centers in Lucknow, Agra, Mawana in
(ii) Basic Teacher's Certificate from any of the (ii) Basic Teacher's Certificate from any of the training	(ii) Basic Teacher's Certificate from any of the
	Urdu.
	appointment, it he possesses a Master's Degree in

referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of Rule 5 for to in sub-clause (ii) of clause (a) of Rule 5 for teaching 5.The essential qualifications of candidates having 5.The essential qualifications of candidates having proficiency in Urdu for appointment to the posts proficiency in Urdu for appointment to the posts referred teaching in Urdu medium shall

in Urdu medium shall be as follows:-

be as follows:-	
(i) A Bachelor's Degree from a University established (i) A Bachelor's Degree from a University established	(i) A Bachelor's Degree from a University established
by Law in India or a Degree recognised by the by Law in India or a Degree recognised by the	by Law in India or a Degree recognised by the
Government as equivalent thereto. The qualifications for Government as equivalent thereto. The qualifications for	Government as equivalent thereto. The qualifications for
proficiency in Urdu will be such as may be prescribed proficiency in Urdu will be such as may be prescribed	proficiency in Urdu will be such as may be prescribed
from time to time by the Government.	from time to time by the Government.
(ii) Training qualification of two years B.T.C. Urdu (ii) Training qualification of two years B.T.C. Urdu	(ii) Training qualification of two years B.T.C. Urdu
special training course.	special training course and have passed teacher
	eligibility test, conducted by Government of Uttar
	Pradesh.

Amendment of Rule 14

3- In the said rules for rules 14 set out in Column-I below the rule as set out in column II shall be substituted namely:

$[\hat{u}]_{i}^{2}$	- (11)	
	xistin	olum
1500	g rule	n-I
ķ.	i v	
Marin.		
·		
	Rule as he	Column I
	reby	
	subsi	
	ij	
	8	- 1
	Ē	
	2	
Section 1	E	Culty Culty 1 27
100 July 100		

Determination of vacancies and preparation of list:-

district inviting applications from candidates possessing prescribed training qualification from the district circulation in the State as well as in the concerned district inviting applications from candidates possessing Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward of vacancies to be reserved for candidates belonging to of vacancies to be reserved for candidates belonging to Exchange and at least two news papers having adequate adequate circulation in the State as well as in concerned under rule 9 and notify the vacancies to the Employment | vacancies in at least two leading news papers having Dependent of freedom fighters and other categories | Classes and other categories under rule 9 and notify the determine the number of vacancies as also the number | determine the number of vacancies as also the number under clause (a) of rule 5, the appointing authority shall under clause (a) of rule 5, the appointing authority shall Master or Assistant Mistress of Junior Basic Schools | Master or Assistant Mistress of Junior Basic Schools to the post of Mistress of Nursery Schools and Assistant | to the post of Mistress of Nursery Schools and Assistant 14. Determination of vacancies and preparation of 14. Determination of vacancies and preparation of list (1) In respect of appointment, by direct recruitment | list (1) In respect of appointment, by direct recruitment

authority shall scrutinize the
applications received in pursuance of the advertisement applications received in pursuance of the advertisement
the names of candidates received from the and prepare a list of such persons as appear to possess
Employment Exchange and prepare a list of such the prescribed academic qualifications and be eligible
(4) The names of candidates in the list prepared under (3) The names of candidates in the list prepared under
sub-rule (2) shall then be arranged in such manner that sub-rule (2) shall then be arranged in such manner that
their names shall be placed in descending order on the
basis of the marks obtained in Teacher Eligibility Test
than those who have passed the said training course later conducted by the Government of Uttar Pradesh.
The appointing rations received in repare a list of su rescribed academi pointment. The appointment academi pointment of cand ule (2) shall then names shall be plucted by the Governments obtained the marks obtained the ma

appointing authority to the selection committee.	appointing authority to the selection committee.
accordance with sub-rule (4) shall be forwarded by the accordance with sub-rule (3) shall be forwarded by the	accordance with sub-rule (4) shall be forwarded by the
(6) The list prepared under sub-rule (2) and arranged in (5) The list prepared under sub-rule (2) and arranged in	(6) The list prepared under sub-rule (2) and arranged in
sub-rule (2).	sub-rule (2).
his or her name is included in the list prepared under his or her name is included in the list prepared under	nis or her name is included in the list prepared under
(5) No person shall be eligible for appointment unless (4) No person shall be eligible for appointment unless	(5) No person shall be eligible for appointment unless
in a particular year shall be arranged in accordance with marks, the candidate senior in age shall be placed the quality points specified in the Appendix.	in a particular year shall be arranged in accordance with the quality points specified in the Appendix.
Provided that if two or more candidates obtain equal	and the candidates who have passed the training course

Column II	Column1
II shall be substituted namely:	Rule 27 II shall be sub

Duties to be performed by Teachers:-

Criterion for crossing efficiency bar	Duties to be performed by Teachers
27. No teacher shall be allowed to cross-	27. A teacher shall:
(a)the first efficiency bar unless he is found to have	(a)the first efficiency bar unless he is found to have (a)be accountable to respective local authority and
worked steadily to the best of his ability and his	worked steadily to the best of his ability and his School Management Committee in regard to
integrity is certified; and	maintaining regularity and punctuality in attending
(b) the second efficiency bar, unless he has a	(b) the second efficiency bar, unless he has a school, regular teaching, regular correction of the
consistently good record of service and his integrity is	consistently good record of service and his integrity is written work of the students and completion of entire
certified.	curriculum within the specific time;
	(b) monitor the regular attendance, learning ability and
	progress of every child in school thereof, share students'
	performance with parents on a regular basis;
	(c) cooperate in managing the affairs of School
	Management Committee, when required;
-	(d) help the local authority for admission of all children
	in school, as required, within the jurisdiction of local
	authority;

Column1 Existing rule	Amendment of Rule 29	2		•			ly's				
	5- In the said rule out in column II sh				*	•	4.74 Table 10.00				
Column II Rule as hereby substituted	5- In the said rules for rule 29 set out in Column1 below the rules as set out in column II shall be substituted namely:	initiatives.	(g) cooperate in internal and external school assessment	training modules and textbook development.	curriculum formulation, and development of a	(f) participate in training programmes, participation in	shall award the completion certificate.	for continuous evaluation, and on the basis of	knowledge and his or her ability to apply the same and	record for every child to check child's understanding of	(e) maintain a file containing the pupil cum
	es as set	la Vie	essment		syllabi,	ation in		f which	ame and	nding of	mulative

Age of superannuation:-

29. Every teacher shall retire in the afternoon 29. Every teacher shall retire from service in of the last day of the month in which he attains the afternoon of the last day of the month in the age of sixty years: Every teacher shall retire in the afternoon | 29.

to work till the end of the academic session this June 30, shall continue to work till June 30, academic session July 1 to June 30 shall continue academic session, not being a teacher retiring on Provided that a teacher who retires during an

which he attains the age of sixty two years:

is, June 30 and such period of service will be following next after the date of retirement, and deemed as extended provide of employment. extended period of employment. Provided that a teacher who retires during an

Secretary